



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

पौष 14, बुधवार, शाके 1938-जनवरी 4, 2017
Pausa 14, Wednesday, Saka 1938-January 4, 2017

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(सामान्य वित्तीय और लेखा अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 4, 2017

एस.ओ.124 :-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि रायल्टी संग्रहण संविदा और अतिरिक्त रायल्टी संग्रहण संविदा के समनुदेशन के लिए समुचित व्यवस्था हेतु समय अपेक्षित है और उक्त कालावधि के दौरान राजस्व की हानि को रोकने के लिए लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के उपबंधों की प्रयोज्यता से खान और भू-विज्ञान विभाग द्वारा रायल्टी संग्रहण संविदा और अतिरिक्त रायल्टी संग्रहण संविदा के लिए सेवाओं के उपापन को इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

[संख्या एफ.1(8) एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए. आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन महाजन,

शासन सचिव।

FINANCE DEPARTMENT
(General Financial & Accounts Division)

NOTIFICATION

Jaipur, January 4, 2017

S.O.124 .-In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion

that time is required for making appropriate arrangements for assignment of royalty collection contract and excess royalty collection contract and to prevent loss of revenue during the said period, it is necessary in public interest so to do, hereby exempts the procurement of services for royalty collection contract and excess royalty collection contract by the Mines and Geology Department from the application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012.

[No. F.1(8)FD/GF&AR/2011]

By Order of the Governor,

Naveen Mahajan,

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.